न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान

कैलाश बनाम भूपेन्द्र सिंह

किस्म मुकदमा धारा-225 मि.नं. 2022/29 सन

अभिभाषक अपीलान्ट श्री हेमन्त विजय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.4.24	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट एवं उनके अभिभावक को पुकार-पुकार कर, तीन बार आवाजें लगवाई गई, फिर भी उनकी ओर से बहस हेतु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अभिभावक अपीलांट पूर्व में भी बहस हेतु दिनांक 11.3.24, 8-4-24 तथा 29.4.24 को भी अनुपस्थित रहे हैं। अतः अभिभावक अपीलांट एवं अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील वकील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय– राजस्व अपील अधिकारी पदेन भूप्रबंधक अधिकारी कोटा, राज0

केलाश पुत्र गोपीलाल जाति मीणा, निवासी मेलखेडी हाल निवास कॉलेज रोड राजश्री इन्टर प्राइजेज के सामने बांरा, राज0

...अपीलान्ट

– बनाम –

(1) भूपेन्द्र सिंह पुत्र उदम सिंह, जाति राजपूत, निवासी कांकडदा तहसील किशनगंज जिला बांरा

(2) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बांरा, राज0 .....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांरा जिला बांरा, निर्णय दिनांक 08.10.2021 प्रकरण सं.32/19 अन्तर्गत धारा.225.राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवर,

अपीलान्ट सादर निवेदन करता है–

(1) यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय नियम एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत है।

(2) यह कि ग्राम मेलखेडी तहसील एवं जिला बांरा की ख0 नं0 1484/247 रकबा 0.60 है0 की कृषि आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन निर्धारित करते हुये अपीलान्ट को ख0 नं0 247 की कृषि भूमि पर जाने से पाबन्द किया है।

(3) यह कि स्वयं वादी/रेस्पोडेन्ट यह जानता था की भूमि पर विधिक स्वीकृत कब्जा अपीलान्ट का है जिससे वाद बेदखली कराने हेतु धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। यानि बेदखली